ंराजकीय वल्लभ महाविद्यालय मण्डी, जिला मण्डी के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015

भाग—एक

1 प्रारम्भिकः—

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्न वर्णित प्राचार्य महाविद्यालय में कार्यरत्त रहेः—

प्राचार्य का नाम	अवधि
श्री एम0एस0 जम्बाल	1.4.13 से 31.3.15

(ख) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई के सत्यापनोपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है। अतः शेष अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई शीध्र करके इस विभाग को तदानुसार सूचित किया जाए।

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	(₹)लाखों में
1	बकाया अस्थाई अग्रिम राशि का समायोजन न करना	5 (क)	6.10
2	एन0एस0एस0 हेतु प्रदान ऋण की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8	0.54
3	रूसा परीक्षा हेतु प्रदान ऋण की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	9	0.15

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

राजकीय वल्लभ महाविद्यालय, मण्डी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के छात्र निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री चन्द्रेश हाण्डा सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा दिनांक 30.3.15 से 16.5.15 के दौरान सम्पन्न किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गए है। आय की विस्तृत जाँच के लिये माह 6/2013 व 6/2014 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिये माह 10/2013 व 9/2014 का चयन किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए यह विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क**

राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मण्डी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹16000/–(सोलह हजार रूपये मात्र) बनता है। प्राचार्य, राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मण्डी द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 169867 दिनांक 16.5.2015 के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेज दी गई।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

(क) राजकीय महाविद्यालय मण्डी द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय की निधि वार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क" पर** भी दिया गया है।

(i) समिश्रित निधि

	2013–14	**2014–15**
प्रारम्भिक शेष	2435169.37	3774554.37
वर्ष में प्राप्ति	4404623.00	10210122.00
वर्ष में प्राप्त ब्याज	153518.00	162869.00
कुल योग	**6993310.37**	**14147545.37**
वर्ष में व्यय	3218756.00	13769773.00
अन्तशेष	3774554.37	377772.37

(ii) पुस्तकालय प्रतिभूति

	2013–14	**2014–15**
प्रारम्भिक शेष	645992.74	865546.74
वर्ष में प्राप्ति	194500.00	202682.00
वर्ष में प्राप्त ब्याज	29854.00	35844.00
कुल योग	**870346.74**	**1104072.74**
वर्ष में व्यय	4800.00	309355.00
अन्तशेष	865546.74	794717.74

(iii) स्नातोकत्तर निधि

	2013–14	**2014–15**
प्रारम्भिक शेष	638181.65	980429.65
वर्ष में प्राप्ति	311090.00	319678.00
वर्ष में प्राप्त ब्याज	31158.00	44015.00
कुल योग	**980429.65**	**1344122.65**
वर्ष में व्यय	–	–
अन्तशेष	**980429.65**	**1344122.65**

(iv) हास्टल निधि

	2013—14	2014—15
प्रारम्भिक शेष	137128.57	90963.57
वर्ष में प्राप्ति	155692.00	118935.00
वर्ष में प्राप्त ब्याज	6328.00	4538.00
कुल योग	**299148.57**	**214436.57**
वर्ष में व्यय	208185.00	69572.00
अन्तशेष	90963.57	144864.57

(v) विश्वविद्यालय निधि

	2013—14	2014—15
प्रारम्भिक शेष	241538.13	304274.13
वर्ष में प्राप्ति	1333643.00	2486390.00
वर्ष में प्राप्त ब्याज	18625.00	5732.00
कुल	**1593806.13**	**2796396.13**
व्यय	1289532.00	2267262.00
अन्तशेष	304274.13	529134.13

(vi) बायोटैक निधिः—

	2013—14	2014—15
प्रारम्भिक शेष	1636605.81	1858038.81
वर्ष में प्राप्ति	224580.00	228600.00
वर्ष में प्राप्त ब्याज	69074.00	77136.00
कुल	**1930259.81**	**2163774.81**
व्यय	72221.00	92879.00
अन्तशेष	1858038.81	2070895.81

(ख) दिनांक 31.3.2015 को निधियों के अन्त शेष का विवरण निम्न प्रकार से था।

निधि का नाम	स्टेट बैंक मण्डी खाता सं0	रोकड़ वही में राशि	बैंक में शेष	अन्तर	टिप्पणी
समिश्रित निधि	30225627079	377772.37	3432160.37	3054388	(i) ₹30 लाख के चैक एफ0डी0आर0 हेतु जारी किए गए, परन्तु एफ0डी0आर0 11.4.15 को बनाई (ii) ₹54368 के चैक 31.3.15 को जारी किए गए, परन्तु बैंक में 31.3.15 तक प्रस्तुत नहीं किए गए।

					(iii) शेष ₹20 जोकि बैंक में अधिक थी, के बारे स्थिति स्पष्ट की जाए
पुस्तकालय निधि	30225472205	794717.74	794707.74		₹10 के अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए
स्नातोकत्तर निधि	30225627738	1344122.65	1344122.65	—	—
होस्टल निधि	30225629587	144864.57	144864.57		
विश्वविद्यालय निधि	30225630241	529134.13	529133.13		(₹1 कम किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए)
बायो टैक निधि	30225628958	2070895.81	2083795.81	12900	(₹12900 के चैक 31.3.15 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए)

नोटः— अन्य समस्त निधियां मिश्रित निधि में सम्मिलित है, अर्थात महाविद्यालय द्वारा बाकी समस्त निधियों की आय को मिश्रित निधि की रोकड़ वही में जोड़कर जमा किया गया है। अतः इन निधियों की रोकड़ वही वर्गीकृत रूप में निधिवार तैयार की जाए जिससे प्रत्येक निधि की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सके।

(ग) निवेश

अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत विभिन्न निधियो से सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का विवरण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** में संलग्न है। महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा राशियों को परिपक्वता पर ब्याज सहित पुनः निवेश किया गया है जिसका इन्द्राज निवेश रजिस्टर में ही किया गया है। अंकेक्षण अवधि में निम्न सावधि जमा राशियाँ भुनाई गई, जिनकी ब्याज की प्रविष्टियाँ आय में सम्मिलित है।

(i) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शित नई एफ0डी0आर0 से सम्बन्धित परिशिष्ट के क्रम संख्या 16 से 19 की ₹1106508 की प्रति एफडीआर की कुल चार एफ0डी0आर0, जिनकी कुल ₹4426032 बनती है, को पुनः निवेश करके दिनांक 5.4.2014 को ₹4841996 की प्राप्ति की गई है। इस राशि से दिनाँक 5.4.2014 को क्रम संख्या 1 से 3 में तीन नई एफ0डी0आर0 बनाई गई। इसके पश्चात नई एफ0डी0आर0 के क्रम संख्या 2 व 3 ₹15 लाख प्रति एफ0डी0आर0 की दो एफ0डी0आर0 परिपक्वता पर हिमाचल ग्रामीण बैंक रधाड़ा दिनाँक 5.4.2015 को भुनाई गई तथा प्राप्त राशि का हस्तांतरण करके क्रम संख्या 6 व 7 में दर्शित ₹15 लाख की दो एफ0डी0आर0 हिमाचल ग्रामीण बैंक तल्याड़ में तैयार की गई, जबकि इन एफ0डी0आर0 हेतु चैक समिश्रित निधि से 31.3.2015 को

जारी किये गये। अतः अग्रिम में चैक जारी करने व बैंकों के विभिन्न स्थानों को बदलने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) दिनांक 4.4.2014 को नई एफ0डी0आर0 के क्रम संख्या 4 व 5 में ₹10 लाख की दो एफ0डी0आर0 निवेशित की गई।

(iii) महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा राशियों का परिपक्वता पर रोकड़ बही में ब्याज सहित इन्द्राज किया जाना अपेक्षित था, जोकि नहीं किया गया, जिस कारण महाविद्यालय द्वारा निवेश की राशियों को वित्तीय स्थिति में नहीं दर्शाया जा सका। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि सावधि निवेश की राशियों को रोकड़ बही के प्रारम्भिक व अन्तशेष में नहीं जोड़ा गया तथा इन राशियों को रोकड़ बही से बाहर कर दिया गया जिससे निधियों की वित्तीय स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती तथा रोकड़ बही में सावधि निवेश का आवश्यक लेनदेन न करने के कारण इन राशियों व इन पर अर्जित/प्राप्त हुए ब्याज के दुरूपयोग/दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सावधि निवेश रजिस्टर भी स्वतः स्पष्ट रूप में तैयार नहीं किया गया है। इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा किये गये निवेश को रोकड़ बही में न दर्शाना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अंकेक्षण आपत्ति उठाई जाती रही है, फिर भी संस्था लेखों द्वारा कोई भी सुधार नहीं किया गया है। अतः उक्त पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में समस्त निवेशित राशियों को रोकड़ बही के प्रारम्भिक शेष/अन्तशेष में भी जोड़ जाना व इन राशियों पर समय–2 पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में लेखाबद्ध किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए। उपरोक्त वर्णित समस्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विशेष रूप से लाया जाता है।

5 समिश्रित निधि

(क) बकाया अस्थाई अग्रिम ₹610335/– का समायोजन न करना

अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु बकाया थेः–

क्र0सं0	चैक सं0	दिनांक	राशि	उद्देश्य
1	708760	29.8.13	6500	क्रास कंट्री टीम
2	708772	4.9.13	4000	रिफ्रैशमैनट बास्केटबाल
3	708781	10.9.13	14300	मैदान फीस क्रिकेट
4	708782	10.9.13	6000	क्रिकेट टूर्नामैन्ट
5	708788	13.9.13	12000	ईन्टर कॉलेज क्रिकेट
6	708791	18.09.13	3000	रिफ्रैशमैन्ट बास्केटबॉल

7	708800	01.10.13	3000	रिफ्रैशमैन्ट बॉलीबॉल (W)
8	107152	01.10.13	3000	रिफ्रैशमैन्ट कबडडी टीम
9	107160	11.10.13	20000	विश्वविद्यालय बैडमिन्टन
10	107161	11.10.13	12000	बैडमिन्टन महिला व पुरूष
11	107165	21.10.13	29800	खो–खो (M+W)
12	107166	21.10.13	7750	खो–खो रिफ्रैशमैनट
13	107180	11.11.13	20000	विश्वविद्यालय ऐथलेटिक मीट
14	107181	11.13	12000	विश्वविद्यालय ऐथलेटिक मीट
15	107182	11.11.13	6250	विश्वविद्यालय ऐथलेटिक रिफ्रैशमैनट
16	107185	12.11.13	60000	विश्वविद्यालय ऐथलेटिक आयोजन
17	107223	26.2.14	12000	बास्केटबॉल मीट
18	220805	25.08.14	20000	पारितोषिक समारोह
19	335264	25.08.14	10175	रिफ्रैशमैन्ट चैस टीम
20	335265	27.08.14	5250	रिफ्रैशमैन्ट चैस व क्रास कंट्री
21	335268	27.08.14	2250	बैडमिन्टन (M& W)
22	335269	27.08.14	3000	खो–खो (W)
23	335270	27.08.14	8000	यात्रा भत्ता व विविध व्यय
24	335272	01.09.14	5000	क्रिकेट पिच निर्माण
25	3352743	01.09.14	5000	बॉलीबॉल (W)
26	335279	03.09.14	50000	बॉलीबॉल कोर्ट निर्माण
27	335280	05.09.14	8400	क्रिकेट ग्राउंड निर्माण
28	335282	05.09.14	6000	हैण्डवाल (M&W)
29	335284	05.09.14	4000	रिफ्रैशमैन्ट क्रिकेट टीम
30	335289	12.09.14	21000	हैण्डवाल (M& W)
31	335290	12.09.14	13000	बैडमिन्टन चैम्पियनशीप
32	335291	12.09.14	18000	बॉलीबॉल (W)
33	335292	12.09.14	7500	क्रिकेट टीम
34	335293	12.09.14	14400	खो–खो (M)
35	335294	12.09.14	14000	खो–खो (W)
36	335295	12.09.14	20000	फुटबॉल (M)
37	335296	12.09.14	3000	रिफ्रैशमैनट खो–खो

38	335297	12.09.14	7200	चूने की खरीद
39	335298	12.09.14	4000	रिफ्रैशमैनट फुटबॉल
40	335299	12.09.14	3000	रिफ्रैशमैनट कबडडी
41	335300	12.09.14	14000	कबडडी टीम (M)
42	335302	12.09.14	20000	इन्टर कालेज बॉलीबॉल
43	335303	24.09.14	20000	बालीबॉल (M)
44	335321	20.10.14	9500	बाक्सिंग टीम
45	335322	20.10.14	18600	बास्केटबाल (W)
46	335323	20.10.14	21460	ट्रायल व चयन किक्रेट टीम
47	335324	20.10.14	3500	इन्टर कालेज जूडो
48	449498	05.11.14	10000	कुस्ती टीम (M)
49	449499	10.11.14	1500	रिफ्रैशमैनट टीम (M)
50	449500	10.11.14	8000	कालेज हॉकी (M& W)
		योग	**₹610335**	

उपरोक्त अग्रिमों से समायोजन लेखें समायोजन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी अध्याधिक अग्रिम समायोजन हेतु शेष थे, जबकि नियमानुसार उद्देश्य की पूर्ति के तुरन्त पश्चात समायोजन कर दिया जाना आपेक्षित था। इस प्रकार लम्बी अवधि से अग्रिमो का समायोजन न किया जाना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। अतः दीर्ध काल से लम्बित अग्रिमों की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से करके तथा समस्त अग्रिमों के समायोजन लेखों को अविलम्ब प्राप्त करके इनका आवश्यक समायोजन किया जाए। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्रवाई किये जाने हेतु शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विशेष रूप से लाया जाता है।

(ख) अस्थाई अग्रिमों से शेष राशि को देरी से जमा करवाने के कारण निधियो का अस्थाई दुर्विनियोजन करनाः—

अस्थाई अग्रिमों के समायोजन लेखों की जांच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कई मामलों में अग्रिम आहरण के माह में ही व्यय किया गया, लेकिन शेष बची राशियों को लगभग 1 वर्ष बाद निधि मे ंजमा करके इनका अस्थाई रूप से दुरूपयोग करके समायोजन किया गया। अतः प्रायोजन की समाप्ति के पश्चात किये गए व्यय में से शेष बची राशि को तुरन्त छात्र निधि मे ंजमा न करवाने व इन राशियों के सम्भावित दुरूपयोग बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इन प्रकरणों से

सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज की वसूली करते हुए भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर त्रुटियों को न दोहराया जाए।

क्र0सं0	प्रयोजन	आहरण की दिनांक	अग्रिम राशि	जमा की दिनांक	शेष राशि जो जमा की गई
1	हॉकी टीम मैच	13.9.13	30000	26.8.14	10248
2	हॉकी टीम मैच (W)	13.9.13	27100	26.8.14	6028
3	बॉलीबॉल (W)	21.10.13	12600	26.8.14	1029
4	बॉलीबॉल (M)	21.10.13	21500	26.8.14	11492
5	बाक्सिंग टीम	21.10.13	8700	26.8.14	1801
6	एन0सी0सी0 कार्य	22.11.13	7000	31.3.14	2000

(ग) इसके अतिरिक्त दिनांक 18.9.13 को बास्केट बॉल (W) मैच हेतु अग्रिम ₹15000/– का आहरण करके ₹8680/– का व्यय करके शेष ₹6320/– दिनाँक 26.8.14 को जमा की गई दर्शाई गई है परन्तु अभिलेख में शेष जमा राशि की रसीद या रसीद संख्या उपलब्ध नहीं थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यदि यह राशि जमा नहीं हुई हो तो वसूली सुनिश्चित की जाए।

6 एकत्रित निधियों को देरी से जमा करने बारे

निम्नविवरणानुसार विभिन्न निधियों की राशियाँ एकत्रित करने के पश्चात इन्हें अनावश्यक रूप में विद्यालय में रखकर दिनांक 1.7.2014 को बैंक में जमा किया गया, जबकि निधियों की राशियाँ वसूली के अगले दिन बैंक में जमा हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार क्रम संख्या 4 को छोड़कर शेष राशियाँ देरी से बैंक में जमा करवाई गई है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में एकत्रित राशि उसी दिन अथवा अगले दिन तक बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	एकत्रीकरण की दिनांक	समिश्रित निधि	पुस्तकालय प्रतिभूति	बायोटैक निधि	विश्वविद्यालय निधि
1	25.6.14	365174	28300	14400	18961
2	26.6.14	125455	8500	7200	5695
3	28.6.14	71949	5300	9000	3551
4	30.6.14	639913	300	3600	17925

7 प्रोस्पैक्टस की बिकी की राशि को देरी से जमा करने बारे

माह जुलाई व अगस्त में विभिन्न कर्मचारियों को 100–100 प्रोस्पैक्टस बिक्री हेतु जारी करके अपेक्षित राशि दो तीन दिन बाद निधि में जमा की जाती थी, लेकिन दिनांक 25.7.2014 को

श्री मोहिन्द्र को 100 प्रोस्पैक्टस जारी करके उक्त कर्मचारी द्वारा बिक्री की ₹6000/– को लगभग 5½ माह बाद दिनांक 9.1.2015 को निधि में जमा करवाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

8 एन0एस0एस0 हेतु प्रदान ऋण की ₹54000/– का वसूली हेतु शेष पाया जाना

महाविद्यालय द्वारा चैक संख्या 107239 दिनाँक 4.1.2014 द्वारा एन0एस0एस0 के स्पैशल शिविर हेतु ₹67500 ऋण के रूप में प्रदान की गई। इस राशि से ₹13500/– दिनाँक 18.3.2015 को समिश्रित निधि को लौटाई गई तथा शेष ₹54000 लौटाई ही नहीं गई, जिसे निधि में तुरन्त जमा करवाया जाए।

9 रूसा परीक्षा हेतु प्रदान ऋण की ₹15745 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

महाविद्यालय चैक संख्या 220812 दिनाँक 3.3.14 द्वारा ₹15745 रूसा परीक्षा हेतु ऋण के रूप में प्रदान की गई। यह राशि दिनांक 31.3.15 तक वसूली हेतु शेष थी, जिसे वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 संविदाओं के आधार पर खरीद न करके कुटेशनों के आधार पर खरीद करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार एक लाख की राशि से अधिक की खरीद संविदाओं के आधार पर की जानी अपेक्षित है परन्तु निम्नलिखित प्रकरणों में खरीद कुटेशनों के आधार पर की गई, तथा महाविद्यालय में दर संविदाओं की अनुमोदित फर्मो की प्रति भी उपलब्ध नहीं थी।

खरीद का विवरण	चैक संख्या	दिनांक	राशि
मै0 एम्बिशन प्रिन्टर मण्डी से 3000 कालेज पत्रिका मुद्रण	107173	24.10.13	187425
6500 प्रोस्पैक्टस प्रिन्टमैन मण्डी से मुद्रण	335247	9.7.14	334750
मै0 एम्बिशन प्रिन्टर मण्डी से 3000 कालेज पत्रिका	499559	18.2.15	204750

अतः उपरोक्त खरीद नियमों की अनदेखी करके संविदाओं के आधार पर न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में खरीद नियमों के आधार पर ही की जाए।

11 यात्रा भत्ता बिलों में ₹3850/– का अधिक भुगतान करना

महाविद्यालय के छात्रों द्वारा दिनांक 3.1.2015 से 10.1.2015 मण्डी से जोधपुर व वापिसी की शैक्षणिक यात्रा प्रो0 बृज राज व प्रो0 संजय शर्मा साथ की गई व इन्हें ₹7383/– की दर से कुल ₹14766 का यात्रा भत्ता बिल चैक संख्या 499542 दिनाँक 1.2.2015 द्वारा प्रदान किया गया। यात्रा भत्ता बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त दोनों अधिकारी दिनाँक 4.1.15 को होस्टल में

ठहरे लेकिन उनके बिलों से नियमानुसार ¼ यात्रा भत्ता ₹75X2=₹150 की कटौती नहीं की गई। इसके अतिरिक्त उक्त अधिकारी दिनांक 5.1.2015 एक गैस्ट हाउस में ठहरे व ₹850X2=₹1700 होटल चार्जिज के प्राप्त किये। इसी प्रकार दिनांक 8.1.15 को वृंदावन में एक आश्रम में ठहरे व ₹1000X2=₹2000 होटल चार्जिज प्राप्त किये। नियमानुसार गैस्ट हाउस व आश्रम इत्यादि जो वाणिज्य स्तर पर नहीं चलते उन्हें होटल की श्रेणी में नहीं माना जाता। अतः उपरोक्त बिलों से ₹150+₹1700+₹2000=कुल ₹3850 के अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

12 खेलकूद की किट व जूतो के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

महाविद्यालय द्वारा खिलाडियों को किट व जूते आधी राशि जमा करने के बाद स्थाई रूप से दियें गए हैं। इस सन्दर्भ में महाविद्यालय द्वारा किट व जूत्तों की निम्न खरीद मै0 अमर ट्रेडर्ज मण्डी से की गई।

सं0 व क्रय सामग्री	दर	कुल राशि	चैक की राशि	चैक संख्या
224 सैट क्रीड़ा कीट	275	61600	30800	499583 20.3.2015
208 जोडी जूते	800	166400	83200	499584 20.3.15

उपरोक्त क्रीड़ा सामग्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 195 में करके समस्त सामग्री खिलाड़ियों को स्थाई रूप से जारी करके स्टॉक शून्य किया गया, जबकि प्रत्येक खिलाड़ियों द्वारा क्रीड़ा किट व जूते की प्राप्ति की रसीद रजिस्टर में हस्ताक्षर करके दर्शाई जानी चाहिए थी तथा रजिस्टर को प्राचार्य से सत्यापित करना अपेक्षित था। अतः बिना रसीद के स्टॉक को शून्य दर्शाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व समस्त सामग्री के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके अनुपालना पुष्टि हेतु आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत की जाए।

13 विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता में व्यय की गई राशि को महाविद्यालय की निधि से प्रभारित करने बारे

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बालीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मण्डी में किया गया व दिनांक 25.9.2014 व 28.9.2014 को कमशः 800 छात्रों व 400 छात्रों अर्थात कुल 1200 छात्रों को ₹25 प्रति छात्र की दर से रिफ्रैशमैन्ट के रूप में ₹30000/– का भुगतान कालेज कैन्टीन को किया गया। रिफ्रैशमैन्ट का वितरण किन–किन छात्रों को किया गया, इसका कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता का व्यय किन नियमों अन्तर्गत आयोजिक महाविद्यालय की निधि से किया गया है, उसका भी उल्लेख करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 लधु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

15 निष्कर्षः– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकनसंख्याः–फिन(एल0ए0)(2)(सी)(15)(xi)(xi)8/78खण्ड–7–5785–5788 दिनांक,05.10.15 शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :–1 प्राचार्य, राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मण्डी, तहसील व सदर मण्डी (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस निधि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2 निदेशक, (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171001

3 विशेष सचिव, (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002

4 श्री चन्द्रेश हाण्डा, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा....................................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "A" पैरा संख्या 1 से सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1993

1	पैरा–5 (क) (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1995

1	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (म) (1) से (4)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1998

1	पैरा–5 (झ, ट) (1) (3) (ढ़) (ण) (फ)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2000

1	पैरा–10 (7) क, ख	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा–5	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005

1	पैरा–5	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

1	पैरा– 5 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा– 6 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा– 6 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा– 6 (5)	अनिर्णीत
5	पैरा– 6 (6)	अनिर्णीत
6	पैरा– 6 (7)	अनिर्णीत
7	पैरा– 6 (8)	अनिर्णीत
8	पैरा– 8 (1)	अनिर्णीत
9	पैरा– 8 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा– 9	अनिर्णीत
11	पैरा– 10	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2010

1	पैरा– 5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा– 5 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा– 5 (3) (i) व (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा– 6 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा– 6 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा– 7 (i)	अनिर्णीत
7	पैरा– 7 (ii)	अनिर्णीत
8	पैरा– 7 (iii)	अनिर्णीत
9	पैरा– 7 (iv)	अनिर्णीत
10	पैरा– 7 (v)	अनिर्णीत
11	पैरा– 7 (vi)	अनिर्णीत
12	पैरा– 14	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा– 3 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा– 4	अनिर्णीत
3	पैरा– 5 (क) (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा– 5 (ग) (क) (ख)	अनिर्णीत

5	पैरा–5 (घ) (i)(ii)(iii)(iv)	अनिर्णीत
6	पैरा– 5 (ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा– 6	अनिर्णीत
8	पैरा– 7	अनिर्णीत
9	पैरा– 8	अनिर्णीत
10	पैरा– 9 (i)(ii)(iii)(iv)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013

1	पैरा– 4	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि भेज दी गई है)
2	पैरा– 5 (क)	अनिर्णीत	(₹787 की वसूली फर्म से की जाए)
3	पैरा– 5 (ख)	अनिर्णीत	(₹7425 की वसूली सुनिश्चित की जाए)
4	पैरा– 6	अनिर्णीत	₹15000 कम जमा बारे स्थिति स्पष्ट की जाए)
5	पैरा– 7 (क)	अनिर्णीत	(₹600 की वसूली सुनिश्चित की जाए)
6	पैरा– 7 (ख)	अनिर्णीत	(₹800 की वसूली सुनिश्चित की जाए)
7	पैरा– 7 (ग)	अनिर्णीत	(₹600 की वसूली सुनिश्चित की जाए)
8	पैरा– 7 (घ)	अनिर्णीत	(₹62 की वसूली सुनिश्चित की जाए)
9	पैरा– 7 (ङ)	अनिर्णीत	(₹50 की वसूली सुनिश्चित की जाए)
10	पैरा– 7 (च)	अनिर्णीत	(₹50 की वसूली सुनिश्चित की जाए)

(ड) राजकीय संध्याकालीन महाविद्यालय मण्डी से सम्बन्धित पैरे

अवधि 4/1976 से 9/1979

1 पैरा– 4.4 (1 से 4)